सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 43/15

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. जोहर मिल्क सैंटर, प्रो. प्रिंस जोहर पुत्र चानण दास जोहर, वर्कशॉप एरिया, श्रीगंगानगर
अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 25.10.2016**

संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.09.2015 को 02:20 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग जोहर मिल्क सैंटर , प्रो. प्रिंस जोहर वर्क शॉप एरिया, श्रीगंगानगर में पहुंचे वहां पर श्री प्रिंस जोहर दूध विक्रय कर रहा था, जो कि स्टील टैंक में करीबन 20 लीटर के आसपास गाय का दूध था, वास्ते विक्री रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर गाय का दूध वास्ते नमूना जांच संख्या के–584 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 एमएल के हिसाब से लिया और खरीद शुदा गाय का दूध की कीमत अखरे रूपये 80/– श्री रिछपाल पुत्र रामलाल एवं राकेश सचदेवा गवाह सामने देकर रसीद प्राप्त की। प्रिंस जोहर को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर प्रिंस जोहर ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री प्रिंस जोहर को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा गाय के दूध को चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर बराबर डाल कर डाट लगाया और लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–584 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–584 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर श्री प्रिंस जोहर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री रिछपाल एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–584 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर पैकेट में सील बन्द कर जन विश्लेषक,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

राजस्थान, जयपुर के पास श्री तिलकराज सहायक कर्मचारी के साथ जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से सील्ड लिफाफे में जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–584 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2413/एक्ट/2015/1885 दिनांक 06.11.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–584 गाय का दूध सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक – दिनांक – की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.12.2015 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त प्रिंस जोहर की ओर से श्री वेद प्रकाश गर्ग, अधिवक्ता हाजिर आए। अभियुक्त की ओर से नोटिस का जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त रामसिंह पुत्र सोहन सिंह से लिया गया गाय के दूध का सैम्पल के–584 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2413/एक्ट /2015/1885 दिनांक 06.11.2015द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि धारा 46 के अनुसार खाद्य विश्लेषक के द्वारा नमूना प्राप्ति के 14 दिवस की अवधि के भीतर विश्लेषण किया जाना चाहिए था। नमूना दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त हो गया था, जिसका विश्लेषण 28.09.2015 से दिनांक 05.10.2015 तक किया गया, जो विधि के अवहेलना करते हुए 23 दिनों में किया गया है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जांच उसे नहीं भिजवाई गई है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा धारा 26 उपधारा 2(II) का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। अतः नोटिस में वर्णित कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया जॉच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की न्यूनतम **3.50** % होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार गाय के दूध में 4.7 % पाया गया है, इसी प्रकार बिन्दु संख्या 02 में वर्णितानुसार Milk solid not fat की न्यूनतम **8.50** % होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार गाय के दूध में **7.33**% पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गाय के दूध का सैम्पल जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रिंस जोहर एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है।

फलस्वरूप प्रिंस जोहर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त प्रिंस जोहर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर